

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त वगैरह

बनाम

एम/एस चार मिनार नॉनवोवेन्स लिमिटेड।

05 मई, 2004

(राजेन्द्र बाबू सी.जे. और जी.पी. माथुर, जे.)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944-वस्तुओं का वर्गीकरण-

शुल्क का अधिरोपण प्राधिकरण द्वारा वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस न्यायालय जारी करना-रिट याचिका। समान निर्णयों को अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्व अवसर पर निर्धारिती के दावे को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर नोटिस को रद्द करना कि अपीलीय न्यायालय का आदेश अंतिम हो गया था-अपील पर, आदेश उच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के प्रक्रम में ऐसे मामलों में हस्ताक्षेप करने में त्रुटि की-इस तरह के मामलों का निर्णय प्रत्येक मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों, अग्रिम अनुसंधान में प्रकट नये तथ्य, विधि में परिवर्तन के अनुसार किया जाना चाहिए। अतः उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर और मामले को निर्णीत करने हेतु

संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाता है। भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226।

प्रत्यर्थी-निर्धारिती को एक फर्द निरूद्धगी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि कारखाना परिसर में पड़ा हुआ माल जब्त किये जाने योग्य था और माल के वर्गीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

प्रत्यर्थी ने कारण बताओ नोटिस व निरूद्धगी आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। इससे पहले इसी तरह के निर्णय पर अपीलीय प्राधिकरण ने निर्धारिती के वर्गीकरण संबंधित दावे को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि अपीलीय आदेश अंतिम हो गया था और उसी के साथ सहमति व्यक्त करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया और नोटिस को रद्द कर दिया।

अतः वर्तमान अपीलें।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: वस्तु वर्गीकरण से संबंधित मामले में इस तथ्य का निर्धारण किया कि यह एक या दूसरे शीर्षक के अन्तर्गत आता है या उच्च या निम्न शुल्क को आकर्षित करता है, प्रत्येक मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों पर किया जाना चाहिए। भले ही यह निर्णय एक समय पर

पहले लिया गया हो, लेकिन अग्रिम अनुसंधान में प्रकट नए तथ्य या परिवर्तित विधि के प्रकाश में पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करने के प्रक्रम में ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अतः उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है और नवीन परीक्षण हेतु मामला संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जाता है।

न्याय निर्णयन के लिए संबंधित प्राधिकारी, समान मुद्दे पर अन्य अपीलों में भी, न्यायाधिकरण के आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का आदेश लागू है जिसे अपास्त कर दिया जाता है और मामले को पुनः विचारण हेतु संबंधित प्राधिकरण को प्रेषित किया जाता है। (224-डी-एफ. 224-एच, 225 ए)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 6559-6560/1997

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.12.96 जो डब्ल्यू.पी. संख्या 23945-46/1996 में पारित किया गया।

के साथ

सी.ए. सं. 776/99, 3568-71, 6270-6271, 6447-6448/2000, 341-344, 4446, 6198/2001, 1810/2002।

राजू रामचंद्र, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एम. चन्द्रशेखरन, एस.के. बागरिया, गौरी शंकर मूर्ति, सुश्री स्मिता एल., सुश्री विभा मखीजा, संजी सेन, बी. कृष्ण प्रसाद, ए. सुभा राव, चंद्र मोहन ए., पुनीत दत्त त्यागी, वी. लक्ष्मीकुमारन, वी. बालचंद्रन, जे.सी. गुप्ता, विनय गुप्ता, सुश्री बेला माहेश्वरी, राजेश कुमार, सुनील कुमार, हिंमाशू शेखर, रूपेश कुमार, तारा चंद शर्मा और सुश्री नीलम शर्मा उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र बाबू

सिविल अपील सं. 6559-6560/1997

इन मामलों में हमारे विचारण के लिए सवाल यह है कि क्या कवरिंग और फिल्टर कपड़ों को 30 प्रतिशत वालोराम (मूल्यानुसार) की दर से शुल्क आकर्षित करने वाली टैरिफ वस्तु के उप-शीर्षक संख्या 5703.90 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या क्या इसे 5 प्रतिशत ad valorem (मूल्यानुसार) की दर से शुल्क आकर्षित करने वाले उप-शीर्षक 5703.20 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी को जारी किया गया निरूद्धगी आदेश जिसमें यह कथित है कि कारखाने में रखा हुआ माल, जो अनुसूची में शामिल है, जब्ती योग्य था। प्रत्यर्थी को आदेश दिया गया था कि वह विवादित माल को नष्ट न करे या अन्यथा उसका सौदा या

परित्याग नहीं करे। जब तक कि वह इस मामले में उचित केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा सुना नहीं जाता और एक नोटिस 05.11.1996 को प्रत्यर्थी को कारण बताने के लिए जारी किया गया था कि माल को उपरोक्तानुसार वर्गीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें इस कारण बताए जाने के नोटिस और निरूद्धगी आदेश को चुनौती दी गई। पूर्व में इसी तरह के निर्णयों पर अपीलीय न्यायालय ने निर्धारिती का दावा कायम रखा है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि अपीलीय आदेश अंतिम हो गया था और उसी के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, नोटिस को रद्द कर दिया। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क है कि यदि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है, वर्गीकरण का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है और एक बार किये गये ऐसे किसी भी वर्गीकरण का पुनर्विलोकन नहीं की जा सकता है, भले ही पहले का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण हो, और इस तरह के कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप राजस्व का बहुत नुकसान होगा, यह तर्क स्वीकार नहीं किया गया और प्रत्यर्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया गया व कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वस्तु वर्गीकरण से संबंधित मामला कि क्या यह एक शीर्षक या किसी अन्य शीर्षक में आता है या उच्च या निम्न शुल्क को आकर्षित करता है,

प्रत्येक मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि पूर्व में निर्णय हो गया परन्तु अग्रिम अनुसंधान में प्रकट नए तथ्य या परिवर्तित विधि के प्रकाश में, जैसा कि वर्तमान मामले में स्थिति है, मामले की फिर से जांच की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के प्रक्रम पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को अपास्त कर प्रकरण को संबंधित प्राधिकरण में निर्णय हेतु प्रेषित किया जाता है। प्रत्यर्थी कारण बताओं नोटिस का जवाब देने के लिए स्वतंत्र है, यदि वह उचित समझे। यदि जवाब नहीं दिया गया है तो आज से एक महीने की अवधि के भीतर अथवा प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर जवाब पेश करे। अतः प्राधिकरण को नियमानुसार/विधिनुसार प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

तदनुसार अपील को अनुमति दी जाती है।

सिविल अपील संख्या 776/1999, 3568-3571/2000, 6270-6271/2000, 6447-6448/2000, 341-344/2001, 4446/2001, 6198/2001, 1810/2002)

इन मामलों में भी सी.ए. 6559-60/1997 के प्रकरण जैसे ही विवाद प्राधिकरण के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत हुए थे। प्राधिकरण ने यह मत

प्रकट किया था कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स चारमिनार नॉनवोवेन्स लिमिटेड में किया गया निर्णय ही लागू होगा। परन्तु इस हद तक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उक्त आदेश अपास्त कर मामले को प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। अतः अन्य सभी प्रकरणों में यह आदेश अपनाते हुए, प्राधिकरण द्वारा दिये गये समान निर्णयों को अपास्त कर, प्राधिकरण को विधिनुसार पुनः विचारण हेतु प्रेषित किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अर्चना गुप्ता, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।